PMAY-G
URGENT

# राजस्थान सरकार
## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(50)ग्राविवि –5/RUDSICO /2019–120 जयपुर, दिनांक 13 जून 2019

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत राज्य के Notified Statutory Town की परिधि क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत लाभान्वित किये जाने के क्रम में।

प्रसंगः– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27 (48) ग्राविवि–5/जिला/2017–18 दिनांक 31.05.2019।

उपरोक्त प्रासांगिक पत्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2019–20 हेतु वर्गवार लक्ष्य आवंटित कर रिमाण्ड मॉडयूल के माध्यम से अपात्र व्यक्तियों को हटाये जाने, वरीयता सूची चस्पा करने, टैग अधिकारी/आवास सहायक का चयन एवं प्रशिक्षण, महात्मा गांधी नरेगा से मस्टररोल जारी करना, मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्मित होने वाले प्रस्तावित आवासों के लाभार्थियों को एकमुश्त राशि जारी कराकर ही प्रथम किश्त जारी किये जाने बाबत् निर्देश प्रदान किये गये है।

वर्ष 2019–20 के अंतर्गत स्वीकृतियों के क्रम में उक्त की निरंतरता में विषयान्तर्गत निर्देश है कि RUDSICO स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत राज्य के 17 शहरों की Notified Statutory Town की परिधि क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों के प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की स्थायी वरीयता सूची में शामिल लाभार्थियों एंव अन्य पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U) का लाभ देय है। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U) के दिशानिर्देशों के क्रम में RUDSICO स्वायत्त शासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले निर्धारित फार्म/प्रपत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की वरीयता सूची के पात्र परिवारों के वरीयता क्रम में नियमानुसार प्रार्थना पत्र तैयार करवाकर RUDSICO के संबंधित कार्यालय को प्रेषित करने हेतु संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समितियों को निर्देशित करे। उक्तानुसार राज्य के 17 शहरों की Notified Statutory Town की परिधि क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत आवास स्वीकृति जारी नहीं की जा सकेगी।

अतः निर्देश है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा वर्ष 2019–20 हेतु आवंटित लक्ष्यों में से उक्त 17 शहरों की Notified Statutory Town की परिधि क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों लक्ष्य आवंटित नहीं किये जावें।

संलग्न– ग्रामों की जिलेवार सूची

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि,राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर आग्रह है कि संबंधित को उपरोक्त 17 शहरों की Notified Statutory Town की परिधि क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों के प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के अंतर्गत तैयार कराये जाने वाले फार्म/प्रपत्र को संबंधित जिला परिषदो में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करावें।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि, राजस्थान, जयपुर
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

स्टेट नोडल ऑफिसर PMAY-G
अधीक्षण अभियंता

D:\Nahar SI 17-4-19\MS Word\Others.docx

Scanned by CamScanner